

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-11042020-219037
SG-DL-W-11042020-219037

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] दिल्ली, मार्च 13—मार्च 19, 2020, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 23—फाल्गुन 29, 1941
No. 2] DELHI, MARCH 13 —MARCH 19, 2020, THURSDAY/PHALGUNA 23—PHALGUNA 29, 1941

भाग— II-II
PART—II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

धारा 19 प्रांतीय दिवालियापन विधेयक, 1920 के अन्तर्गत घोषणा

न्यायालय श्री धीरेन्द्र राणा न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय, अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश संरक्षण न्यायाधीश (केंद्रीय), कमरा न.12, भूतल तीस हजारी दिल्ली.

वाद संख्या दिवालियापन वाद संख्या/ 2016

मनोज कुमार बनाम मैसर्स ए.एस.एसोसियेट्स व अन्य

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉलम नंबर: 2 में उल्लेखित याचिकाकर्ता ने कॉलम नंबर: 3 में उल्लिखित प्रतिवादी के विरुद्ध स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन किया है और याचिका को स्वीकार करते हुए दिवालियापन वाद 20 अप्रैल 2020 को 10.00 बजे सुना जाएगा। नीचे दिए गए नामों सहित कोई भी व्यक्ति विरोध करना चाहता है तो माननीय न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं।

वाद सं.	पक्षों के नाम याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	सुनवाई की तारीख
वास सं. दिवालियापन वाद सं. /2016	मनोज कुमार स्वयं भू स्वामी मैसर्स रोहित इलेक्ट्रिकलस 2414/2014 चाह इनदारा भागीरथ प्रलेख चाँदनी चौक दिल्ली तथा निवासी सी-241 लक्ष्मी गार्डन, गली न.4, लोनी इंद्रापुरी, जिला-गाजियाबाद- 201102 (उत्तर प्रदेश)	मैसर्स ए.एस.एसोसियट्स कार्यालय: 1893, द्वितीय तल, सक्षम-दरिबाकलां चाँदनी चौक, दिल्ली	20.04.2020

15/02/2020 को मेरे हाथ और अदालत की मुहर के तहत दिया गया ।

हस्ता./-

(धीरेन्द्र राणा)

न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय,
अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश
संरक्षण न्यायाधी (केंद्रीय), कमरा न.12,
भूतल, तीस हजारी, दिल्ली
[विज्ञापन ए/ II/II/12/19]

अंग्रेजी समाचार पत्र “स्टेट्समैन” के साथ-साथ हिन्दी समाचार पत्र “वीर अर्जुन” और दिवालियापन विधयेक की धारा 19 के अन्तर्गत राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित होने के लिए प्रतिलिपि अग्रलिखित प्रकाशन शुल्क जमा करने पर और सुनवाई की तारीख पर या उससे पहले इस अदालत को एक प्रति भेजे ।

PROCLAMATION UNDER SECTION 19 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920

IN THE COURT OF SHRI DHIRENDRA RANA:

ASCJ-CUM-JSCC-CUM-G. JUDGE (CENTRAL) ROOM NO. 12, TIS HAZARI COURT, DELHI

SUIT NO. INSOLVENCY PETITION NO. /2016

MANOJ KUMAR Vs M/S A.S. ASSOCIATES & ANRS.

Notice is hereby given that the petitioner mentioned in the column No. 2 has applied for adjudging himself against the respondents mentioned in column 3 as insolvent and the petition having being admitted will be heard on **20 APRIL, 2020 at 10.00 O'clock.** Any person including the names given below wishes to oppose may appear before this Hon'ble Court either in person or through any pleader.

SUIT NO.	NAME OF THE PARTIES PETITIONER	RESPONDENTS	NEXT DATE OF HEARING
<u>SUIT NO.</u> <u>INSOLVENCY</u> <u>PETITION NO.</u> <u>/2016</u>	MANOJ KUMAR SOLE PROP. M/S ROHIT ELECTRICALS 2414/2014, CHAH INDARA, BHAGIRATH PALACE, CHANDNI CHOWK, DELHI	M/S A. S. ASSOCIATES OFFICE- 1893, 2ND FLOOR, OPPOSITE- DARIBA KALAN, CHANDNI CHOWK, DELHI	20.04.2020

	ALSO R/O C-241, LAXMI GARDEN, GALI NO. 4, LONI INDRAPURI DIST- GHAZIABAD -201102 (U.P.)	
--	--	--

Given under my hand and the seal of the Court on this 15.02.2020.

Sd./-

(DHIRENDRA RANA)

JSCC-ASCJ-G.JUDGE/

INSOLVENCY JUDGE/CENTRAL/DELHI.

[ADVT.-A/II/II/12/19]

Copy forwarded for publication, to the English Newspaper "STATESMAN" as well as in Hindi Newspaper "VIR ARJUN" and also for gazette notification in terms of Section 19 of the Insolvency Act, on deposit of publication charges and send a copy of the same to this court on or before the date of hearing.